राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ
SUDA

दूरभाष 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

दिनांक : 1० अगस्त 2015

पत्रांक : 1983/05/76/एक/2015-16

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-फिरोजाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या -37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	30304503371	IFSC Code SBIN0004052	41.594

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	फिरोजाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट प्रथम/ अंतिम किश्त	न0नि0 फिरोजाबाद	फूलवाड़ी (रहपुरा) में श्री नवाब सिंह के घर से जदुराम के घर तक व अशोक वाली गली में, श्री भगवान स्वरूप के घर से महेन्द्र के घर तक भग्गू मल के घर से ब्रिजेश के घर तक, ब्रिजेश के घर से लाल चन्द्र के घर तक, दया शंकर के घर से राम लखन के घर तक, राम लखन के	41.594
	योग				41.594

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5 स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

दूरभाष : 2286709
2286713
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

SUDA

2580/2

[illegible] वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत [illegible] परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय [illegible] कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

[illegible] नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में [illegible] [illegible] के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों [illegible] में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों [illegible] की सहमति ले ली जाये।

[illegible] अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण [illegible] अभिकरण को [illegible] में उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण [illegible] अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा। [illegible] अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा [illegible] अवमुक्त की गई धनराशि [illegible]

[illegible] के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी [illegible] द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों / योजना के [illegible] [illegible] इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

[illegible] की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक [illegible] परियोजना में भुगतान के पूर्व [illegible] राज्य व स्थानीय [illegible] [illegible] का ध्यान रखा जाना एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

[illegible] धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी [illegible] की जा रही धनराशि का उपयोग [illegible] धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही [illegible] शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि [illegible] सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध [illegible] अंकित कार्यों में यदि कार्य / धनराशि की [illegible] हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध [illegible] अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी [illegible] उत्तरदायी होंगे।

शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें [illegible] सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार [illegible] कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित [illegible] प्रारूप पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

[illegible] पृष्ठांकन उपरोक्त
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
[illegible] निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित [illegible]
[illegible] निदेशक, सूडा।
[illegible] अधिकारी, सूडा।
[illegible] / लेखा [illegible], सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक